राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), जयपुर परिसर

त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर (राज.) 302018

(राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद् द्वारा 'ए' श्रेणी में प्रत्यायित)

Rashtriya Sanskrit Sansthan (Deemed University) Jaipur Campus

Triveni Nagar, Gopalpura Byepass, Jaipur (Raj.) 302018

(Accredited by NAAC with 'A' Grade)

छात्रावास विवरणिका

फोन : 0141–27661115 फैक्स–0141–2760686
वेबसाईट– www.rsksjaipur.ac.in ईमेल– principaljp.in@gmail.com

राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), जयपुर परिसर

त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर (राज.) 302018

(राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद् द्वारा 'ए' श्रेणी में प्रत्यायित)

छात्रावास नियमावली

संरक्षक

प्रो. पी.एन. शास्त्री

कुलपति

*

मार्गनिर्देशक

प्रो. अर्कनाथ चौधरी

प्राचार्य

*

मुख्य छात्रावास अधिष्ठाता

प्रो. गजेन्द्र प्रकाश शर्मा

*

छात्रावास अधिष्ठाता

प्रो. सत्यम कुमारी

डॉ. दिनेश यादव

डॉ. पंकज पुरोहित

राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), जयपुर परिसर

परिचय–

राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान अखिल भारतीय स्तर पर संस्कृत के उन्नयन का कार्य विभिन्न प्रान्तों में स्थापित अपने परिसरों के माध्यम से कर रहा है। संस्कृत अध्ययन जयपुर नगर की प्राचीन व सुदीर्घ परम्परा है।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान के अन्तर्गत 13 मई, 1983 को केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की गई। संस्थान को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त होने के पश्चात् विद्यापीठ राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान के जयपुर परिसर के नाम से प्रसिद्ध है। जयपुर परिसर का संस्थान के परिसरों में अन्यतम स्थान है। स्वप्रयत्न, योग्यगुणवत्ता एवं कुशल व्यवहार से इस परिसर में सम्प्रति एक हजार से अधिक संस्कृतानुरागी छात्र–छात्रायें अध्ययन एवं शोधकार्य में रत हैं, जो भारत के विभिन्न प्रान्तों से आते हैं।

परिसरीय छात्रों को अध्ययन हेतु समुचित वातावरण प्रदान करने की दृष्टि से परिसर में डॉ. मण्डन मिश्र छात्रावास की स्थापना 12 सितम्बर, 2007 को एवं छात्राओं हेतु महिला छात्रावास की स्थापना 27 नवम्बर, 2009 को की गई।

➢ छात्रावास में प्रवेश –

1. छात्रावास में नवीन छात्र के रूप में प्रवेश हेतु छात्र द्वारा गत कक्षा में अर्जित अंक प्रतिशत एवं मूल निवास स्थान की दूरी के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी। जयपुर में कोई रिश्तेदार के नहीं रहने की स्थिति में ही मूल निवास स्थान की दूरी पर विचार किया जायेगा।
2. कक्षावार छात्रावास आवंटन का अधिकार प्रवेश समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
3. पूर्व प्रवेशित छात्रों को प्राक्शास्त्री प्रथम वर्ष में 60 प्रतिशत एवं शास्त्री प्रथम वर्ष शास्त्री द्वितीय वर्ष, शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष, आचार्य प्रथम वर्ष के छात्रों को न्यूनतम 65 प्रतिशत अंक अर्जित करने अनिवार्य होंगे।
4. छात्रावास में कक्षानुसार भारत सरकार के आरक्षण नियमानुसार एवं मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।
5. अनुत्तीर्ण छात्रों को छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
6. यदि कोई छात्र परिसर में अनुसंधान के कार्य से बाहर से आते हैं, तो छात्रावास अधिष्ठाता की विशेष अनुमति से स्थान रिक्त होने पर उन्हें अधिकतम एक सप्ताह छात्रावास में प्रवेश दिया जा सकता है। इसके पूर्व प्राचार्य महोदय से लिखित अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे छात्रों को भोजन शुल्क रुपये 100/– प्रतिदिन चालान से जमा कराना होगा।
7. प्रवेश के समय सभी छात्र–छात्राओं को अधिकृत चिकित्सक द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एवं स्वयं का एंटी रैगिंग शपथ–पत्र तथा माता/पिता/अभिभावक का शपथ–पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

➢ छात्रावास प्रवेश समिति –

छात्रावास में प्रवेश के लिए प्रार्थना पत्रों पर निर्णय हेतु एक समिति प्राचार्य द्वारा गठित की जायेगी। छात्रावास प्रवेश समिति प्राप्त आवेदन पत्रों में से नियमानुसार जांच के उपरान्त प्रवेश की अनुशंसा करेगी।

➢ प्रवेश एवं अन्य शुल्क के नियमः–

1. छात्रावास विकास शुल्क 1300/– रु. प्रति छात्र/छात्रा रहेगा तथा 1000/– रु. अमानत राशि भी जमा की जायेगी जो (वर्ष में विद्यार्थी द्वारा की गई क्षति को पूरित कर शेष राशि) छात्रावास छोडने पर रिफण्ड हो सकेगी।

2. भोजन शुल्क अग्रिम राशि के रूप में निम्नानुसार लिया जाएगा–

प्रवेश समय में न्यूनतम	तीन माह का शुल्क	राशि वास्तविक व्यय में समायोजित होगी
15 अक्टूबर तक न्यूनतम	तीन माह का शुल्क	
15 जनवरी तक न्यूनतम	चार माह का शुल्क	

3. विकास शुल्क एवं अमानत राशि छात्र/छात्रा कार्यालय में जमा करेगा एवं, भोजन शुल्क स्वयं छात्रावास से संबंधित चालान द्वारा परिसर से सम्बद्ध यूनियन बैंक में छात्रावास खाता सं. 535502010007044 में जमा करके रसीद संबंधित छात्रावास अधिष्ठाता/सह अधिष्ठाता/कार्यालय अध्यक्ष/छात्रावास सम्बद्ध लिपिक को जमा करायेंगे।
4. संस्थान द्वारा घोषित दशहरा, दीपावली तथा शीतकालीन अवकाशों में भोजन व्यय वास्तविक मैस संचालन दिवसों के आधार पर देय/समायोजनीय होगा।
5. जिस माह में वार्षिक परीक्षा समाप्त होगी उस माह का भोजन व्यय वास्तविक डाइट के आधार पर ही देय होगा।
6. विभिन्न प्रतियोगिताओं में कार्यालय आदेशानुसार जयपुर से बाहर जाने वाले छात्रावासीय छात्र/छात्राओं का निर्धारित दिनों का भोजन शुल्क नहीं काटा जायेगा।

➢ अनुशासन :–

1. छात्रावास में प्रविष्ट सभी छात्र/छात्राओं को अनिवार्य एवं नियमित रूप से छात्रावास में रहना होगा।
2. छात्रावास में छात्र/छात्राओं के अतिथि का प्रवेश पूर्णतः निषिद्ध होगा। आने वाले अतिथि की प्रविष्टि आगन्तुक पंजिका में होने के उपरान्त छात्र/छात्रा को गार्डरूम में अतिथि से मिलने की अनुमति दी जायेगी।
3. छात्रावास परिसर में पूर्ण अनुशासन एवं शालीनता से रहना होगा। अनुशासनहीनता की स्थिति में छात्रावास से वंचित कर दिया जायेगा।
4. छात्रावासीय छात्र/छात्राओं को हर समय अपना परिचय पत्र साथ रखना होगा। बिना परिचय पत्र के भोजनशाला एवं छात्रावास में प्रवेश अवैध होगा।
5. छात्रावास में सभी वाग्–व्यवहार संस्कृत में ही करें।
6. ऑयरन रोड, हीटर, वॉकमैन, टीवी, प्लेयर व कूलर प्रतिबंधित होगा, ऐसी कोई वस्तु पाये जाने पर जब्त कर ली जायेगी तथा 1000/– रु. अर्थदण्ड लिया जायेगा तथा इसकी पुनरावृत्ति पर छात्रावास से निष्कासित कर दिया जायेगा।
7. गुटखा, पान सुपारी, सिगरेट, बीड़ी अथवा किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन प्रतिबंधित होगा। इनका सेवन करता पाये जाने पर प्रथम बार में ही छात्रावास से निष्कासन होगा।
8. अण्डा और किसी भी प्रकार के मांसाहारी पदार्थ का सेवन भी प्रतिबंधित है। बाहर से लाकर सेवन करना भी निषिद्ध होगा।

9. प्रदत्त वस्तुओं के अलावा संस्थान की कोई भी वस्तु कमरे में न रखें, जैसे– खाने के बर्तन, बेंच आदि। भोजनालय का कोई भी बर्तन कमरे अथवा बरामदे में पाये जाने पर 500/– रु. का अर्थ दण्ड लागू होगा।
10. पानी की टंकी पर, बरामदे व बालकॉनी में बैठना तथा सोना निषिद्ध होगा।
11. यदि किसी को छात्रावास से बाहर जाना है तो छात्रावास अधिष्ठाता की लिखित अनुमति लेना आवश्यक होगा। छात्रावास अधिष्ठाता की लिखित अनुमति के बिना यदि कोई छात्रावास से अनुपस्थित रहता है तो उसका छात्रावास से प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
12. ऐसे छात्र/छात्राओं को जो कक्षाओं में अध्ययनार्थ नियमित उपस्थित नहीं होंगे, उन्हें छात्रावास सुविधाओं से वंचित किया जा सकेगा। प्रत्येक माह विभाग से प्राप्त उपस्थिति में 75 प्रतिशत से न्यून पाये जाने पर छात्रावास सुविधा से वंचित कर दिया जायेगा।
13. प्रत्येक छात्रावासी परिसर/छात्रावास अधिष्ठाता द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों का श्रद्धापूर्वक पालन करें।
14. अनुशासन से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत आने पर छात्रावास अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।
15. छात्रावास की निर्धारित दिनचर्या का अपने व्यक्तित्व की उन्नति के लिए श्रद्धापूर्वक पालन करें।
16. डॉ. मण्डन मिश्र छात्रावास में छात्राओं एवं महिला छात्रावास में छात्रों का प्रवेश सर्वथा निषिद्ध रहेगा। ऐसा करने पर छात्र/छात्रा को छात्रावास से निष्कासित किया जायेगा।
17. डॉ. मण्डन मिश्र छात्रावास में निवास करने वाले प्रत्येक छात्र को रात्रि 8:00 बजे तक तथा महिला छात्रावास में निवास करने वाली छात्राओं को सायं 6 बजे तक आवश्यक रूप से छात्रावास में आगमन निश्चित करना होगा।
18. छात्रावास व्यवस्था के संदर्भ में सभी छात्रावासीय छात्र/छात्राओं व छात्रावास अधिष्ठातृ मण्डल का पाक्षिक उपवेशन पूर्व सूचना पर होगा जिसमें तथा यथा आवश्यक अन्य उपवेशनों में सभी छात्रावासीय छात्र/छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
19. छात्रावास के सभी कार्यक्रमों तथा परिसरीय विशेष गतिविधियों में निर्धारित समय, सभ्य तथा स्वच्छ गणवेश में छात्रावासीय छात्र/छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
20. छात्रावास क्रीडा प्रांगण में परिसर द्वारा निर्धारित खेलों के अतिरिक्त अन्य खेल (विशेषतः क्रिकेट) खेलना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
21. रात्रि 9.30 बजे छात्रावास का मुख्य द्वार बन्द कर दिया जायेगा तदुपरान्त किसी भी छात्र/छात्रा का आवागमन वर्जित होगा।
22. परीक्षा समाप्ति के साथ ही छात्र को आवंटित कक्ष तीन दिवस के भीतर खाली करना अनिवार्य होगा।
23. चालू सत्र में प्रत्येक छात्रावास में निवास करने वाले छात्र/छात्रा को परिसर में 2 वृक्ष लगाकर उनका पोषण करना प्रशंसा योग्य कार्य माना जायेगा तथा ऐसे छात्रों को यथा समय पुरस्कृत किया जायेगा।
24. कोई छात्र/छात्रा अधिष्ठाता, भोजनालय संचालक, कर्मचारियों एवं मैस व्यवस्था संचालन छात्र समिति सदस्यों से अभद्रतापूर्वक व्यवहार नहीं करेगा। ऐसा पाये जाने पर छात्रावास अधिष्ठाता द्वारा यथा योग्य कार्यवाही की जायेगी।
25. छात्रावासीय छात्र/छात्राओं का छात्रावास परिसर एवं परिसर प्रांगण में किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि का संचालन करना सर्वथा निषिद्ध होगा।

26. छात्रावास सहयोगी मैस के संचालन व स्वच्छता एवं अनुशासन व्यवस्था के लिए छात्रावासीय छात्र–छात्राओं की विभिन्न समितियों का गठन समय–समय पर अधिष्ठाताओं के द्वारा किया जायेगा। समिति के दिशा निर्देशों का पालन सभी के लिए अनिवार्य होगा।

27. छात्रावास में किसी जाति विशेष, क्षेत्र विशेष, कक्ष विशेष अथवा अन्य किसी भी प्रकार की गुटबाजी पूर्णतः निषिद्ध है। ऐसा करने पर छात्रावास से निष्कासन किया जायेगा।

28. सामुहिक सम्पत्ति का नुकसान करने पर संबंधित विंग के छात्रों पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

29. आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की असत्य जानकारी अथवा असत्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर किसी भी स्तर पर प्रवेश निरस्त करने के साथ ही समुचित कार्यवाही की जायेगी।

30. जिस छात्र/छात्रा पर परिसर अथवा छात्रावास में कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई हो अथवा पुलिस में कोई प्राथमिकी दर्ज हुई हो ऐसे छात्र/छात्रों को भविष्य में छात्रावास देय नहीं होगा।

31. गत सत्र में छात्रावास में रहते हुए परिसर विरोधी गतिविधि अथवा हड़ताल तथा अभद्रता में सम्मिलित छात्रों के आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

32. किसी भी प्रकार की कीमती अथवा अन्य वस्तु (यथा– पैसे, मोबाइल व अन्य सामग्री) की सुरक्षा का दायित्व छात्र/छात्रा का स्वयं का होगा। इसके लिए प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

33. छात्रावास खेल प्रांगण में परिसर से इतर लोगों का प्रवेश पूर्णतः निषिध होगा तथा छात्रावास के अतिरिक्त परिवरीय छात्रों को सायं 6 बजे तक केवल खेलने के लिए ही खेल प्रांगण में रूकने की अनुमति होगी। इस नियम की अवहेलना में सहयोग करने वाले छात्रों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

34. गत सत्रों में छात्रावास व्यवस्था सम्पादन में विशेष सहयोग करने वाले छात्रों को अधिष्ठाताओं की अनुशंसा पर प्राचार्य जी की विशेष अनुमति से निर्धारित अंक प्रतिशत में छूट दी जा सकेगी।

35. छात्रावास में रहने के दौरान विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र/छात्राओं को सत्रांत में सम्मानित किया जायेगा। सम्मानित की जाने वाली विभिन्न श्रेणियां अधोलिखित हैं–

(क) संस्कृत वातावरण निर्माण
(ख) सर्वश्रेष्ठ अध्ययन
(ग) सर्वश्रेष्ठ अनुशासन (प्राक्शास्त्री एवं शास्त्री स्तर पर पृथक–पृथक)
(घ) नवोदित प्रतिभा (प्राक्शास्त्री एवं शास्त्री स्तर पर पृथक–पृथक)
(ङ) सर्वश्रेष्ठ कक्ष स्वच्छता
(च) पाकशाला सहायक
(छ) पाकशाला प्रबंधन
(ज) सर्वश्रेष्ठ क्रीडा

➢ **भोजनशाला :–**

1. सभी छात्र/छात्रायें निर्धारित समय पर भोजनशाला में शांतिपूर्वक भोजन करेंगे।
2. भोजन का समय ऋतु एवं परिस्थिति के अनुसार छात्रावास अधिष्ठाता के आदेश से परिवर्तित किया जा सकेगा।
3. भोजन निर्माण प्रकोष्ठ में निर्धारित व्यवस्था समिति एवं छात्रावास अधिष्ठाताओं के अतिरिक्त अन्य लोगों का प्रवेश पूर्णतः निषिद्ध होगा।

4. भोजनशाला से बाहर भोजन ले जाने की अनुमति किसी भी छात्र/छात्रा को नहीं होगी, ऐसा करते हुए पाये जाने पर छात्र/छात्रा को छात्रावास से निष्कासित किया जायेगा।
5. भोजनोपरान्त भोजन पात्र स्वयं साफ कर निर्धारित स्थान पर ही रखने होंगे।

➢ स्वच्छता :–

1. कमरे में सफाई एवं पलंग पृथक–पृथक की जिम्मेदारी विद्यार्थी की होगी, निरीक्षण करने पर सही नहीं पाया जाने पर आर्थिक दंड देय होगा।
2. अपने कमरे की स्वच्छता कर कचरा निर्धारित स्थान पर प्रातः 8:30 बजे तक डालना होगा।
3. कमरे में अलमारी, टेबल, कांच और स्विच बोर्ड आदि की समुचित जिम्मेदारी छात्र/छात्राओं की होगी।
4. अपने गद्दे की बैडशीट तथा तकिये की खोल हमेशा साफ रखना अनिवार्य होगा।
5. छात्रावास में निवास करने वाले छात्र/छात्राओं द्वारा कमरे की दीवारों, दरवाजों को गन्दा करना अभद्र पोस्टर, स्टीकर आदि लगाना वर्जित है। ऐसा करता पाये जाने पर 500/– रु. अर्थदण्ड लिया जायेगा तथा इसकी पुनरावृत्ति पर छात्रावास से निष्कासित कर दिया जायेगा।

➢ छात्रावास दिनचर्या :–

छात्रावासीय छात्रों की दिनचर्या निम्नानुसार होगी जिसका पालन अनिवार्यतः सभी छात्रों के लिए आवश्यक है।

प्रातः	**से**	**पर्यन्त**	**कार्यक्रम**
	5:00	6:00	प्रार्थना योगाभ्यास
	6:00	7:15	स्नानादि नित्यकर्म
	7:30	10:00	इस समय के कार्यक्रमों का निर्धारण निर्देशानुसार होगा।
सायं	**से**	**पर्यन्त**	**कार्यक्रम**
	5:00	6:30	संस्कृत संभाषण/क्रीड़ा/कम्प्यूटर/आंग्लशिक्षण
	7:00	8:30	भोजन
	8.30		स्वाध्याय
	9:30 से		सामूहिक प्रार्थना एवं उपस्थिति

CERTIFICATE OF MEDICAL FITNESS

To be obtained only from Gazetted Government Medical officer/Medical Officer of a Government Undertaking. (Please note that in no other form this certificate will be accepted. Medical Certificates issued by private medical practitioners will not be accepted.)

Name: ....
(in Block Letters)

Father's Name: ....

Blood group/Anemic (Blood Count): ....

Height: .... Weight: ....

Chest: ....

Heart and Lungs : ....

Vision : L : .... R : ....

Colour Vision : ....

Hearing : ....

Hernia/Hydrocele/Piles : ....

Any other disease diagnosed in past: ....

Allergies, if any ....

List of prescribed medication, If any ....

1. ....
2. ....
3. ....

Any other Remarks : ....

I certify that I have carefully examined Mr./Ms. .... son/daughter of

Mr. .... who has signed in my presence. He/she has no mental and physical disease and is FIT.

Signature of the candidate

Station : ....

Date : ....

Signature of the Medical Officer with legible seal

AFFIDAVIT BY THE STUDENT

I, ... (full name of student with admission/registration/enrolment number) S/o D/o Mr. / Mrs. /Ms. ____ , having been admitted to Dr. Mandan Mishra hostel/Girls hostel, Rashtriya Sanskrit Sansthan, Jaipur Campus, have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations") carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations. 2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging. 3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging. 4) I hereby solemnly aver and undertake that

a) I will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force. 6) I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared this ______ day of _______________ month of ________ year.

____

Signature of deponent

Name:

VERIFICATION Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at (place) on this the (day) of (month) , (year) .

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the (day) of (month) , (year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

AFFIDAVIT BY PARENT/GUARDIAN

I, Mr./Mrs./Ms. ____ (full name of parent/guardian) father/mother/guardian of ...., (full name of student with admission/registration/ enrolment number) , having been admitted to Dr. Mandan Mishra hostel/Girls hostel, Rashtriya Sanskrit Sansthan, Jaipur Campus, have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations"), carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations. 2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging. 3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against my ward in case he/she is found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging. 4) I hereby solemnly aver and undertake that

a) My ward will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

b) My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

2 I hereby affirm that, if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against my ward under any penal law or any law for the time being in force. 6) I hereby declare that my ward has not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, the admission of my ward is liable to be cancelled.

Declared this ______ day of ____________ month of _______ year.

____

Signature of deponent

Name:

Address:

Telephone/ Mobile No.:

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein. Verified at (place) on this the (day) of (month), (year).

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the (day) of (month) , (year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

सम्पर्क सूत्र

प्रो गजेन्द्र प्रकाश शर्मा	– मुख्य छात्रावास अधिष्ठाता	7597677288
प्रो. सत्यम कुमारी	– छात्रावास अधिष्ठात्री (महिला छात्रावास)	9785737971
डॉ. दिनेश यादव	– छात्रावास अधिष्ठाता (डॉ. म.मि. छात्रावास)	9414800036
डॉ. पंकज पुरोहित	– सहा.छात्रावास अधिष्ठाता (डॉ. म.मि. छात्रावास)	8559997881
श्री रामजीलाल मीना	– कार्यालय अधीक्षक	7568841108
श्री सीताराम शर्मा	– लिपिक	9352754637

फोन : 0141–27661115 फैक्स–0141–2760686

वेबसाईट– www.rsksjaipur.ac.in ईमेल– principaljp.in@gmail.com